झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (नीति) 17/2021— 471

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :— 26.05.2022

विषयः— **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 के उल्लंघन के संबंध में।**

प्रसंगः— आयोग का पत्रांक—718 दिनांक—02.11.2021 एवं पत्रांक—356 दिनांक—05.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्रों द्वारा माह सितम्बर, 2020 से अब तक cooking cost की राशि एवं अण्डे या फल के बदले दिये जाने वाली की राशि का राज्य भर में भुगतान की क्या स्थिति है। यदि यह व्यवस्था माह सितम्बर, 2020 से बन्द है तो क्या मामले में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान की गई या नहीं ? जिम्मेदार पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की गई अथवा नहीं ? इस संदर्भ में आयोग द्वारा विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गई थी।

उक्त के आलोक में आपके पत्रांक—214 दिनांक—13.04.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020—21 में सभी अहर्ताधारी छात्र/छात्राओं को देय खाद्यान्न एवं cooking cost की राशि उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही उक्त पत्र की कंडिका—2 में वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिनांक—01.04.2021 से विद्यालय संचालन होने के पूर्व तक के लिये देय खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए अहर्ताधारी छात्र/छात्राओं के लिये cooking cost की राशि विमुक्त कर दिये जाने की सूचना उपलब्ध कराई गई है। उक्त मामले में वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिये अब तक लाभुक छात्र—छात्राओं को उक्त राशि का भुगतान किया गया है अथवा नहीं ? इस संदर्भ में सूचना अप्राप्त है।

अतः अब तक कितने अहर्ताधारी छात्र—छात्राओं को देय खाद्यान्न एवं cooking cost की राशि उपलब्ध कराई गई है, इसकी सूचना एवं साथ ही यदि उक्त राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, इससे सम्बन्धित सूचना आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

26/05/2022

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Vinod Sir\Letters.docx4